राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.1(8)नविवि/जयपुर/2017 जयपुर, दिनांक : 01 APR 2021

विषय :— पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने के बाद आवासीय भूखण्डों के आवंटन बाबत् नीति।

पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित परिवारों को राज्य के विभिन्न जिलों में भारतीय नागरिकता समय–समय पर प्रदान की जाती है, जिसके उपरान्त विस्थापित परिवारों के द्वारा शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर महानगरीय क्षेत्रों में, रियायती दर पर आवासीय भूखण्डों के आवंटन की मांग की जाती हैं। इन विस्थापित परिवारों को विभिन्न स्थानों पर संबंधित नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/विकास प्राधिकरणों के द्वारा समय–समय पर आवासीय भूखण्डों का आवंटन किया जाता रहा है, लेकिन ऐसे भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही हेतू राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित परिवारों को विभिन्न शहरी निकायों के द्वारा आवासीय भूखण्ड आवंटन के लिये अलग–अलग प्रक्रिया एवं मापदण्ड अपनाये जाते है। भूखण्ड आवंटन प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने के कारण विस्थापित परिवारों को इधर–उधर भटकना भी पड़ता है और उनको स्थायी आवास के लिए लम्बा इन्तजार करना पड़ता है।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित परिवारों को राज्य के नगर विकास न्यासों एवं जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड आवंटन करने की प्रक्रिया, भूखण्ड की माप, आवंटन की दर, पात्रता, लीज दर आदि के स्पष्ट दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतू विभाग के द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05.10.2018 के द्वारा नीति जारी की गई थी। इस नीति को जारी करने के उपरान्त विभाग में प्राप्त ज्ञापनों में कुछ शिथिलताऐं प्रदान किये जाने की मॉग की गई है जिन पर विचार किये जाने के उपरान्त दिनांक 05.10.2018 को जारी नीति में कुछ संशोधन किये जा रहे है। तदनुसार यह संशोधित नीति जारी की जा रही है, जिसके प्रावधान निम्नानुसार हैः–

1. **भूखण्ड आवंटन के लिए पात्रता** –

1.1 सन् 1965 से अब तक भारत आये भारतीय नागरिकता प्राप्त पाक विस्थापित जिनके पास भारत में किसी भी ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में स्वयं के नाम भूमि अथवा आवास/भूखण्ड/फ्लैट नहीं है उनको प्राथमिकता दी जाकर आवंटन के पश्चात आवंटन से शेष/रिक्त भूखण्डों को आवंटन करते समय ऐसे परिवारों को जिन्होने पूर्व में रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त किया है, उन परिवारों को छोडते हुए अन्य पाक विस्थापित परिवारों को आवासीय मकान/भूखण्ड आवंटन किया जायेगा।

1.2 विस्थापित परिवार को सामान्यतया उसी जिले में आवासीय भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा जिस जिले में उस विस्थापित परिवार के सदस्य वर्तमान में निवास कर रहे हैं।

1.3 यदि पाकिस्तान से विस्थापित परिवार के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले से भिन्न जिले में न्यास/प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड का आवंटन चाहा जाता है तो उस स्थिति में परिवार के मुखिया को यह प्रमाण देना होगा कि वह भिन्न जिले में न्यास/प्राधिकरण क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष से लगातार निवास कर रहा है और अपने परिवार का वहीं पर पालन–पोषण कर रहा है।

1.4 पाक विस्थापित के ऐसे परिवार जिनके पास भूमि'आवासीय भूखण्ड/फ्लैट नहीं है। उनको प्राथमिकता दी जाकर आवंटन के पश्चात् आवंटन से शेष/रिक्त भूखण्डों को आवंटन करते समय ऐसे परिवारों को जिन्होंने पूर्व में रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त किया है, उन परिवारों को छोडते हुए अन्य पाक विस्थापित परिवारों को भूखण्ड आवंटन किया जायेगा। केवल वही विस्थापित परिवार इस नीति के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड/मकान के लिए पात्र होगा जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में कोई आवासीय मकान/भूखण्ड/फ्लैट भारत के किसी भी ग्रामीण या किसी शहरी क्षेत्र में नहीं है।

1.5 विस्थापित परिवार के किसी सदस्य को यदि पूर्व में राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड आवंटित हो चुका हो या आवंटित भूखण्ड का विक्रय कर दिया गया हो तो उस परिवार के किसी सदस्य को इस नीति के तहत् राज्य में किसी भी शहरी क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड का आवंटन नहीं किया जायेगा।

1.6 परिवार के सदस्यों में परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी अथवा पति, उसके आश्रित पुत्र एवं पुत्रियाँ, उस पर आश्रित माता एवं पिता शामिल माने जायेंगे। पुत्र एवं पुत्रीयों में वह पुत्र और पुत्री भी शामील है जिसका जन्म माता–पिता के भारत में आने के बाद भारत में हुआ है। पुत्र अथवा पुत्री यदि शादीशुदा हैं और बालिग हैं तो उसे भिन्न परिवार का सदस्य माना जायेगा।

2. **भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन की प्रक्रिया –**

2.1 इस नीति के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड का आवंटन पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित परिवार के मुखिया के नाम किया जायेगा। परिवार के मुखिया के द्वारा निर्धारित प्ररूप–1 में आवेदन पत्र संबधित शहरी निकाय (न्यास/प्राधिकरण) के सचिव को प्रस्तुत करना होगा। ऐसे सभी आवेदन पत्रों को एक पृथक रजिस्टर में दर्ज किया जायेंगा।

2.2 विस्थापित परिवार के मुखिया को आवेदन पत्र में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण, उनको भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी। भारत में जन्म लेने वाले सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी से जारी हो की सत्यापित प्रति भी संलग्न करनी होगी। आवेदन पत्र के साथ परिवार के मुखिया को अपनी पहचान के लिए किसी सरकारी संस्था/विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा –मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड में कम से कम एक दस्तावेज की सत्यापित प्रति भी संलग्न करनी होगी। इस हेतु 1965 के पश्चात पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों को भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी प्रक्रिया तक नागरिकता के संबंध में स्वःप्रमाणित प्रमाण–पत्र को माना जायेगा। परन्तु

आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व नागरिकता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

2.3 विस्थापित परिवार की ओर से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर न्यास/विकास प्राधिकरण के सचिव के द्वारा विस्थापित परिवार के संबंध में मौके की स्थिति की जाँच न्यास/प्राधिकरण के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी से करवायी जायेगी। यदि मौके की स्थिति के अनुसार और भी विस्थापित परिवार पाये जाते हे तो उनकी सूचना भी एकत्रित की जायेंगी। मौके की स्थिति की जाँच रिपोर्ट आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर प्राप्त कर लेनी चाहिये।

2.4 मौके की स्थिति की जाँच में विस्थापित परिवार एवं उनके सदस्यों के संबंध में यह जानकारी की जायेंगी कि वर्तमान में विस्थापित परिवार कहां पर निवास कर रहा है, कब से निवास कर रहा है, परिवार के सदस्य पूर्व में कहां निवास कर रहे थे, उनका रोजगार कब से कहां है और क्या है, आदि। क्षेत्र में निवास कर रहे उसके रिश्तेदारों की भी निवास संबंधी पूर्ण जानकारी एकत्र की जायेगी।

2.5 आवेदन पत्र प्राप्त होने के पाँच दिवस के भीतर न्यास/प्राधिकरण सचिव के द्वारा आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले के जिला मजिस्ट्रेट/विदेशी पंजीकरण अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए लिखित अनुरोध प्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/ विदेशी पंजीकरण अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट/वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर न्यास/विकास प्राधिकरण के सचिव को प्रेषित करेंगे।

3. **आवासीय भूखण्डों के आवंटन हेतू भूमि का चयन –**

3.1 न्यास/प्राधिकरण के द्वारा अपने क्षेत्र में प्रारम्भिक सर्वे कर यथासंभव यह जानकारी की जायेगी कि पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवार कितने है, जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त है और भूखण्ड विहीन है। प्रारम्भिक सर्वे के आधार पर इन विस्थापित परिवारों को आवासीय भूखण्ड आवंटित किये जाने के लिए आवश्यक मात्रा में भूमि की आवश्यकता का आकंलन न्यास/प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य जिले में या अन्य स्थान पर वर्तमान में निवास करने वाले विस्थापित परिवार, जिनको नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, भी न्यास/प्राधिकरण क्षेत्र में भूखण्ड आवंटन के लिए इच्छुक हो सकते है और पात्र होने पर उनको भूखण्ड आवंटन भी किया जा सकता है। अतः इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आवासीय भूखण्डों के आवंटन हेतु आवश्यक भूमि का आंकलन करते हुए भूमि को चिन्हित किया जायेगा।

3.2 न्यास/प्राधिकरण के मास्टर प्लान में आवासीय उपयोग के अनुसार ही विस्थापित परिवारों को आंवटित की जाने वाली भूमि चिन्हित की जायेगी, अन्यथा यथा आवश्यकता भू–उपयोग परिवर्तन नियमानुसार हो जाने की स्थिति में ही भूमि आवंटित की जा सकेगी।

3.3 बेशकीमती भूमि को इस नीति के तहत् रियायती दर पर विस्थापित परिवारों को आवंटित नहीं किया जाना चाहिये। बेशकीमती भूमि से आशय उस भूमि से है जो संबंधित न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल में अधिकतम डीएलसी या आरक्षित दर की भूमि है।

3.4 आवंटित किये जाने वाले संभावित भूखण्डों की संख्या के आंकलन के पश्चात् चिन्हित भूमि की प्लानिंग कर स्कीम तैयार की जायेगी। न्यास/प्राधिकरण द्वारा ऐसी स्कीम तैयार करने के लिए राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 8 (1) के अनुसार मापदण्डों का अनुसरण किया जायेगा तथा उक्त नियमों के नियम 9 के अनुसार स्कीम का अनुमोदन करवाया जायेगा। अनुमोदित स्कीम में आधारभूत बाह्य विकास कार्य, यथा सड़क, पानी, बिजली शहरी निकाय द्वारा कराये जायेंगे।

4. **आवासीय भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया, भूखण्डों का आकार, कीमत तथा लीज दर –**

4.1 विस्थापित परिवार जो आवासीय भूखण्ड के आवटन के लिए पात्र है और जिन्होनें आवेदन किया है उनकी सूची तैयार की जायेंगी तथा उपलब्ध आवासीय भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के आधार पर न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

4.2 एक विस्थापित परिवार को सामान्यतः 90 वर्गमीटर तक का आवासीय भूखण्ड आवंटित किया जायेगा, लेकिन ऐसे किसी भूखण्ड का क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर से अधिक का नहीं होगा।

4.3 आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल यदि 60 वर्गमीटर तक है तो भूखण्ड की कीमत क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत होगी और यदि भूखण्ड का आकार 60 वर्गमीटर से अधिक लेकिन 90 वर्गमीटर तक है तो भूखण्ड की कीमत क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत होगी है। यदि भूखण्ड का क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर से अधिक है तो 90 वर्गमीटर से अधिक के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर शतप्रतिशत आरक्षित दर के आधार पर गणना कर भूखण्ड की कीमत आंवटी से वसूल की जायेगी।

4.4 आवासीय भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर होगा। लीज रेन्ट आवंटन दर के आधार पर ही देय होगा। भूखण्ड के आवंटन की राशि के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष लीज राशि भूखण्ड का कब्जा आवंटी को सौपने की तिथि से देय होगी। प्रतिवर्ष की लीज राशि मार्च में जमा करानी होगी यदि लीज राशि एकमुश्त जमा करायी जाती है तो प्रतिवर्ष लीज रेन्ट की 8 गुणा राशि एकमुश्त अग्रिम रूप में ली जायेगी और ऐसी स्थिति में भूखण्डधारी लीज रेन्ट जमा कराने से भविष्य में मुक्त माना जायेगा।

5. **भूखण्ड आवंटन के लिए सामान्य शर्ते –**

5.1 आवंटित आवासीय भूखण्ड का कब्जा आवंटी को दिये जाने से पूर्व आवंटी के द्वारा तीस दिवस में भूखण्ड की संपूर्ण राशि जमा कराना आवश्यक होगा। तीस दिवस में राशि जमा नहीं होने पर नगरीय निकाय के द्वारा राशि जमा कराने हेतू तीस दिवस का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। उक्त 60 दिवस की अवधि पश्चात् अगले दस महिने में राशि जमा कराने पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज आवंटी द्वारा द्वारा देय होगा। आवंटी द्वारा कुल एक वर्ष की अवधि में भी राशि जमा नहीं कराने पर भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। भूखण्ड के स्वतः निरस्तीकरण को बहाल करने का निर्णय गुणावगुण के आधार पर नगरीय निकाय के द्वारा तीन वर्ष अवधि के भीतर किया जा सकेगा लेकिन भूखण्ड का निरस्तीकरण तभी बहाल माना जायेगा यदि आवंटी भूखण्ड की मूल राशि + ब्याज (आवंटन

तिथि के 60 दिवस पश्चात् 9 प्रतिशत वार्षिक दर से) + शास्ति (भूखण्ड की मूल राशि की 5 प्रतिशत वार्षिक दर से राशि) पूर्णतया नगरीय निकाय में जमा करवा देवें। इस अवधि के पश्चात् निरस्त भूखण्ड की बहाली पर विचार नहीं किया जा सकेगा। ऐसे निरस्त भूखण्ड को अन्य विस्थापित पात्र परिवार को आवंटित कर दिया जायेगा और यदि कोई पात्र विस्थापित परिवार नहीं है तो नीलामी के जरिये नगरीय निकाय के द्वारा उस भूखण्ड को निस्तारित किया जा सकेगा।

5.2 विस्थापित परिवार के द्वारा आवासीय भूखण्ड केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही उपयोग में लाया जायेगा। आवासीय से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में लाने पर भूखण्ड का आवंटन नगरीय निकाय के द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा और भूखण्ड का कब्जा नगरीय निकाय के द्वारा ले लिया जायेगा जिसका मुआवजा या कीमत नगरीय निकाय के द्वारा देय नहीं होगी। यदि ऐसे निरस्त भूखण्ड पर कोई निर्माण या विकास कार्य आवंटी या अन्य के द्वारा कर लिया गया है तो निर्माण/विकास कार्य सहित भूखण्ड का कब्जा नगरीय निकाय के द्वारा वापिस ले लिया जायेगा और इसका कोई मुआवजा या कीमत नगरीय निकाय के द्वारा देय नहीं होगी। आवंटन निरस्त किये जाने से पूर्व आवंटी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नगरीय निकाय के द्वारा कम से कम सात दिवस का नोटिस दिया जायेगा।

5.3 आवंटित भूखण्ड या उसके किसी भाग का आवंटी के द्वारा किसी अन्य को दस वर्ष तक हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। अन्य को हस्तांतरण यदि इस अवधि में किया जाता है तो अवैध एवं शून्य माना जायेगा और ऐसा पाया जाने पर संपूर्ण भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा। लेकिन मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी को भूखण्ड हस्तांतरित माना जायेगा, जो मान्य होगा।

5.4 आवंटित भूखण्ड का आंवटन तिथि के दस वर्ष पश्चात् आवंटी द्वारा अन्य को आवासीय प्रयोजनार्थ हस्तांतरण किया जा सकेगा लेकिन प्रत्येक हस्तांतरण (विधिक उत्तराधिकारी से भिन्न हस्तांतरण) पर लीज रेन्ट की 25 प्रतिशत राशि, प्रतिवर्ष की दर से अथवा अग्रिम 8 गुणा एक मुश्त की दर के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, भूखण्डधारी से नगरीय निकाय द्वारा वसूलनीय होगी।

5.5 आवासीय भूखण्ड पर तीन वर्ष की अवधि के भीतर आवासीय इकाई का निर्माण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नगरीय निकाय के द्वारा सात दिवस का नोटिस आवंटी को दिया जाकर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। नगरीय निकाय के द्वारा स्कीम/योजना, जहां पर ऐसे आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, में यदि आधारभूत बाह्य विकास कार्य नहीं कराये गये है तो आवंटी द्वारा इस शर्त की पालना तब तक आवश्यक नहीं होगी जब तक कि उस स्कीम/योजना में सड़क, पानी एवं बिजली जैसे न्यूनतम आधारभूत बाह्य विकास कार्य पूर्ण नहीं हो जाते और उक्त तीन वर्ष की अवधि आधारभूत बाह्य विकास कार्य पूर्ण होने की तारीख से प्रारम्भ मानी जायेगी।

उक्त प्रकार से गणना की गई तीन वर्ष की निर्माण अवधि को नगरीय निकाय के द्वारा आवंटी की विशेष परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुए उसके आवेदन पर दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

5.6 आवंटित भूखण्ड जिन शर्तो के अन्तर्गत आवंटित किया गया है उन शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा और आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। आवंटन निरस्त किये जाने से पूर्व आवंटी को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए कम से कम सात दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा।

5.7 भवन निर्माण स्वीकृत टाईप डिजाईन के अनुसार होगा।

5.8 शेष शर्तें, जो इस नीति के अन्तर्गत वर्णित नहीं है, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि का निषपादन) नियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार मानी जायेगी।

6. **विविध –**

6.1 नगरीय निकाय के द्वारा विस्थापित परिवारों को आवंटित आवासीय भूखण्डों का विवरण एक रजिस्टर में संधारित किया जायेगा।

6.2 आवंटित किये गये आवासीय भूखण्डों का सही उपयोग हो और दुरूपयोग नहीं हो इसक लिए नगरीय निकाय के द्वारा नियमित रूप से निगरानी की कार्यवाही की जायेगी। नगरीय निकाय के संबंधित उपसचिव/उपायुक्त ऐसी निगरानी के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

6.3 आवंटित भूखण्ड की संपूर्ण राशि एवं बकाया लीज राशि जमा होने के पश्चात् भूखण्ड का कब्जा आवंटी को दिया जायेगा और कब्जा सौपने के तुरन्त पश्चात् (अधिकतम 15 दिवस) लीज डीड आवंटी के पक्ष में जारी किया जायेगा और लीज डीड के पंजीयन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत विधिवत् पंजीयन होने के पश्चात् आंवटी को सौपा जायेगा।

6.4 आवासीय भूखण्ड के आवंटन के पश्चात् यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि भूखण्ड का आवंटन आवंटी के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर या तथ्यों को छूपाते हुये या फर्जी प्रमाणों के आधार पर करवाया गया है तो भूखण्ड का आवंटन अवैध एवं शून्य मानते हुए नगरीय निकाय के द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे भूखण्ड को उस पर यदि कोई निर्माण आदि है, के सहित नगरीय निकाय के कब्जे में ले लिया जायेगा जिसके बदले भूखण्ड एवं निर्माण, यदि कोई हो, की कीमत या मुआवजा नगरीय निकाय के द्वारा देय नहीं होगा। लेकिन निरस्तीकरण की कार्यवाही से पूर्व आवंटी को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए कम से कम सात दिवस का नोटिस दिया जायेगा।

6.5 यह नीति राज्य के सभी नगर विकास न्यास में, राजस्थान आवासन मण्डल तथा जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण पर लागू होगी। इस नीति में जहां–जहां ''नगरीय निकाय'' शब्द प्रयोग हुए है उसका आशय तद्नुसार ही समझा जावें।

6.6 यह नीति तुरन्त प्रभाव से लागू होगी और वर्तमान में विचाराधीन मामलों पर भी इस नीति के प्रावधान लागू होगें, परन्तु पूर्व निर्णीत मामलों में इस नीति के प्रावधान लागू नहीं होगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण।
5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम